[2018] 3 एस.सी.आर. 663

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

मेसर केटी निर्माण

(सिविल अपील क्रमांक 4016 वर्ष 2018) अप्रैल 18, 2018

[आदर्श कुमार गोयल और आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति]

मध्य प्रदेश मध्यस्थ अधिकरण अधिनियम, 1983:

पुनरीक्षण याचिका - उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई - का औचित्य - माना गया: चूंकि मामले (जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया था) को खारिज कर दिया गया है, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया है - मामला उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है।

मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम एलजी चौधरी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (2012) 2 एससीसी 495: [2012] 2 एससीआर 162 - पर भरोसा किया गया।

वीए टेक एस्चर वायस फ्लोवेल लिमिटेड बनाम एमपीएसई बोर्ड और अन्य [2011] 13 एससीसी 261 - खारिज कर दिया गया।

केस लॉ रेफरेंस [2012] 2 एससीआर 162 पैरा3 पर निर्भर था (2011) 13 एससीसी 261 पैरा3 को खारिज कर दिया गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4016 वर्ष 2018

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, स्थित जबलपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 13.08.2010 के विरुद्ध सिविल रिवीजन नंबर 509 वर्ष 2005 में ।

सौरभ मिश्रा, एएजी, जुगल किशोर गिल्डा, पुरुषइंद्र कुमार, महाधिवक्ता, नमन नागरथ, नीरज किशन कौल, पराग त्रियथी, सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, हर्ष पाराशर, जुबिन प्रसाद, अमन पांडे, जसदीप एस ढिल्लों, प्रभात के. चौरसिया, सुश्री रेणुका साहू, जय सावला, अमर वरुण, शांतनु कृष्णा, सुश्री अनुसूया सलवान, ध्रुव मिश्रा, दिव्यांशु कुमार श्रीवास्तव, आकाश लांबा, वीरेन सिब्बल, विवेकानन्द बी., विकास सूद, अपूर्व कुरुप, सुश्री ईशा मितल, डॉ. हर्ष पाठक, सुश्री श्वेता महाजन, मोहित चौबे, सिद्धार्थ शुक्ला, नीरज शेखर, अर्जुन गर्ग, मिश्रा सौरभ, श्रीधर पोतराजू, सुधीर मिश्रा, प्रभात कुमार, सुश्री पेटल चंडोक, सुश्री अंकिता शर्मा, ऋषभ, एम.आर. शमशाद, आदित्य समद्दर, बी.एस. बांठिया, सुश्री स्वरूपमा चतुवेर्दी, सौरभ एस. सिन्हा, आदित्य देव त्रिगुणा, सुनील सिंह परिहार, मेसर एपी एंड जे चैंबर्स, प्रफुल्ल कुमार बेहरा, मनीष के. भारद्वाज, एस.एस. नेहरा, सुश्री अनुराधा मिश्रा, सुश्री वंशजा शुक्ला, वरुण मोहन, स्वास्तिक सिंह, अर्जुन गर्ग, मनीष यादव, सुश्री स्वरूपमा चतुवेर्दी, बी.एन. दुबे, सुश्री देविका गुलाटी, हितेंद्र नाथ रथ, मयंक क्षीरसागर, पावेश जोशी, चावु अंबवानी (मेसर एपी और जे चैंबर्स के लिए), जय सावला, बी.के. सतीजा, सुमित अत्री, के. कृष्ण कुमार, हितेंद्र नाथ रथ, नीलाव बंद्योपाध्याय, राहुल पांडे, उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया।

आदेश

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

1. विलम्ब क्षमा किया गया। अनुमति प्रदान की गई।

2. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील से सलाह ली है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

3. पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा इस पर विवाद नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम एलजी चौधरी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (2012) 3 एससीसी 495 में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, जिसने वीए टेक एस्चर व्यास फ्लोवेल लिमिटेड बनाम एमपीएसई बोर्ड और अन्य, (2011) 13 एससीसी 261 में इस न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया है। विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और मामले को उच्च न्यायालय में भेजा जाना चाहिए जो कानून के अनुसार प्रतिवादी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में पार्टियों के बीच विवाद का फैसला कर सकता है। तदनुसार आदेश दिया गया। सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 509 वर्ष 2005 को उसके मूल क्रमांक पर बहाल किया जाता है।

4. अपील का निपटान किया जाता है।

5. पक्ष आगे की कार्यवाही के लिए 9 जुलाई, 2018 को उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील निस्तारित।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019



अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"